

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1698 / 2007 / झुंझुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता चिड़ावा झुंझुनू

.....अपीलार्थी.

बनाम्

जयप्रकाश संजीव कुमार
नया बाजार दिल्ली

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एन.के वैद

.....अपीलार्थी की ओर से.

उप-राजकीय अभिभाषक

श्री ओ.पी.गुप्ता

अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : .12.11.2018

निर्णय

1. उक्त अपील कार्यालय उपायुक्त (अपीलस) प्रथम वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर द्वारा अपील सं. 14 / RSTNRD / 04-05 में पारित आदेश दिनांक 21.05.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अपीलीय अधिकारी ने सक्षम अधिकारी द्वारा अपीलीय धारा 78(5) को शास्ति रु 5610/- एवं कर रु 3740 को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता चिड़ावा झुंझुनू द्वारा दिनांक 10.02.2005 को पिलानी मार्ग पर वाहन संख्या आरजे-21/जी-2582 को रोककर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री हासन पुत्र श्री इब्राहिम ने वाहन में चीनी लदी होना प्रकट करते हुए निम्न दस्तावेज पेश किए-

1. मै. कोटपूतली (एम.पी) रोड़ लाईन्स दिल्ली की जो आर.क्रमांक 7127 दिनांक 09.02.05 दिल्ली से कुचामन सिटी,

2. मै. जयप्रकाश संजीवकुमार नया बाजार दिल्ली का मै बजरंग भण्डार सियाराम मार्केट कुचामन सिटी को जारी बिल क्रमांक 1317 दिनांक 09.2.2005 चीनी 220कट्टे।

वक्त जांच वाहन का त्रिपाल खुलवा कर जांच किये जाने पर वाहन में खाण्डसारी लदी पाई गई। व्यवहारी द्वारा कर योग्य खाण्डसारी का परिवहन मिथ्या घोषणा करते हुए चीनी के रूप में की जाकर करवचना का प्रयास करने के कारण राजस्थान बिक्री अधिनियम 1994 की धारा 78(5) के तहत दिनांक 14.02.2005 हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में श्री हासन पुत्र श्री इब्राहिम वाहन चालक एवं प्रभारी द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया एवम् माल के वारतविक स्वामी श्री अरुण कुमार पुत्र श्री जयप्रकाश प्रोपराईटर मैं, जयप्रकाश संजीव कुमार नया बाजार दिल्ली को बताया। इस पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 की धारा 78(5) के तहत व्यवहारी मैसर्स जयप्रकाश संजीव कुमार को दिनांक 18.02.2005 हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में व्यवसाई द्वारा जवाब प्रस्तुत

किया गया। जवाब पर गौर करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वक्त जांच प्रस्तुत बिल मिथ्या दस्तावेजों के साथ कपटपूर्ण घोषणा करके परिवहन किया जाना मानते हुए प्रस्तुत बिल को अस्वीकार करते हुए राजस्थान बिक्री कर अधिनियम 1994 की धारा 78(5) के तहत खण्डसारी का बाजार भाव ज्ञात कर परिवहनित माल कीमतन रूपये 1,87,000/- पर शास्ति रूपये 56,100/- एवं राज्य में अपंजीकृत व्यवसाई मानते हुए उक्त राशि पर 2 प्रतिशत की दर से कर रूपये 3,740/- कुल मांग रूपये 59,840/- आरोपित की गई जिन्हें इस अपील में विवादित किया गया है।

3. अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्न लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये एवम् अभिकथन किया कि:-

अपीलार्थी फर्म द्वारा मैसर्स बजरंग स्टोर कुचामनसिटी (राजस्थान) को बिल संख्या 1317 दिनांक 09.02.2005 द्वारा 220 कट्टे चीनी का विक्रय किया गया। प्रत्येक कट्टा का वजन 50 किलो का था तथा आदेश फोन द्वारा मिला था जिसमें उक्त माल की शीघ्र आवश्यकता बताते हुए शीघ्र ही रवानगी करने की प्रार्थना की गई थी। उक्त माल की रवानगी के लिये मैसर्स कोटपुतली (एम.पी) रोडलाईन्स देहली से वाहन किराये पर मंगवाया गया। माल का बिल आदि तैयार कराकर पल्लेदारों को सम्भलवा दिये गये तथा निर्देश दिये गये कि उक्त ट्रांसपोर्ट कम्पनी से ट्रक आने पर बिल के मुताबिक माल लदा देना तथा ड्राईवर को कागजाद सम्भला देना। तत्पश्चात फर्म के मालिक व अन्य स्टाफ घर चले गये क्योंकि रात्रि हो गई थी। माल पल्लेदारों ने लदाया तथा ट्रक रवाना हो गया।

दिनांक 10.02.2005 को पिलानी चिड़ावा मार्ग पर उक्त वाहन संख्या आर0जे021-जी/2582 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उडनदस्ता चिड़ावा द्वारा चैक किया गया। वाहन चालक ने माल से सम्बन्धित बिल 1317 दिनांक 09.02.2005 दिल्ली से कुचामन सिटी पेश किया। माल चैक करने पर ट्रक में चीनी की बजाय खाण्डसारी निकली। वाहन चालक से पूछने पर बताया कि उसके पास ये ही कागजात है ओर कोई कागजात नहीं है। उसको माल की बाबत ज्यादा जानकारी नहीं है तथा माल रात्रि में पल्लेदारों द्वारा लदान किया गया था तथा उन्हीं के द्वारा कागजात दिये गये थे। माल लदाते समय मैं वाहन के पास नहीं था बल्कि नजदीक में खाना खाने चला गया था। मैंने माल को चैक कर के नहीं देखा था। मैं मालिकों को सूचित कर देता हूँ। चैकिंग अधिकारी ने नोटिस वाहन चालक को सौंप दिया तथा अपीलार्थी को फोन पर वाहन चालक ने सूचित किया। इस पर एक ओर तो मैसर्स बजरंग स्टोर कुचामन सिटी को फोन पर बताया गलती से चीनी की बजाय खाण्डसारी लद गई है। यह भूल पल्लेदारों की हैं। चीनी व खाण्डसारी के कट्टे अलग-अलग लाईन (साईड) में एक ही हाल में रखे थे। वजन व शकल कट्टों की लगभग समान है। रात्रि का समय था। लदान के समय पल्लेदारों के अलावा कोई नहीं था। उन्हें इस खाण्डसारी को अपनी आढत पर बेचने तथा हिसाब व भुगतान भेजने को कह दिया गया। पत्र भी लिख दिया। प्रति संलग्न है।

चैकिंग अधिकारी के यहाँ मुनीम/कारिन्दा श्री अरुण कुमार पुत्र श्री भीखूराम महाजन निवासी गुड मण्डी सांवलख, हरियाणा को रवाना कर दिया। उन्होंने चैकिंग अधिकारी को समस्त स्थिति से अवगत करा दिया तथा वतलाया कि दिल्ली में चीनी व खाण्डसारी पर कोई विक्रय कर नहीं है। नम्बर एक में माल बेचा है। बिल व बिल्टी सही है परन्तु पल्लेदारों की गलती से गलत माल लद गया। माल एक ही हाल रखा था। वजन व शकल भी कट्टों की एक सी है बिल नम्बर 1318 भी पेश कर दिया,

जिसे नहीं लिया। माल छोड़ने का निवेदन किया हमारा माल छोड़ देंगे। अधिकारी ने बहुत डराया/धमकाया तथा कहा कि माल व वाहन के अलावा हम लोगों को भी थाने में बन्द करा देंगे। माल नहीं छुटेगा। हमें माल की जरूरत थी अतः डर के मारे अधिकारी के अनुसार लिख कर दे दिया। मालिक फर्म श्री संजय गर्ग पुत्र जय प्रकाश तथा उनके छोटे भाई श्री अरूण कुमार पुत्र जयप्रकाश है। ये दोनों ही चैकिंग अधिकारी के पास नहीं गये थे। परन्तु डर के मारे तथा अधिकारी के लिखाने के अनुसार ही लिखाया गया था तथा मुझे मालिक संजय गर्ग का छोटा भाई अरूण कुमार बनाया गया तथा मैंने स्वीकार किया। इस बाबत मालिक फर्म श्री संजय गर्ग व श्री अरूण पुत्र श्री जयप्रकाश तथा श्री अरूण कुमार पुत्र श्री भीखूराम मुनीम के शपथ पत्र संलग्न है। इसमें कोई भी कर चोरी की नियत नहीं थी तथा मात्र पल्लेदारों की भूल से गलती हुई है। इसे पल्लेदारों की लापरवाही भी कहा जा सकता है। उक्त खाण्डसारी मैसर्स बजरंग स्टोर कुचामन सिटी (राजस्थान) के यहाँ बिका हैं जिनका आरएसटी/सीएसटी नम्बर 2137/10058 है। उन्होंने इस माल को अपनी आदत पर बेचा है। इसका हिसाब अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है। प्रति संलग्न है। इसके अनुसार उक्त 220 कट्टे खाण्डसारी रूपये 205562/- में बिक्री है तथा इस पर राजस्थान सरकार का कर रूपये 4112/- (2657+1455) चुकाया है। जिसकी प्रति संलग्न है। एफ फार्म नम्बर ए-1-232811 प्राप्त हुआ है प्रति संलग्न है। इस प्रकार

इस माल का विक्रय राजस्थान में हुआ है, जमा खर्च है तथा नियमानुसार कर अदा किया गया है इसमें कोई भी कर चोरी की नीयत नहीं थी तथा कोई भी कर चोरी नहीं हुई थी। मात्र पल्लेदारों की लापरवाही/भूल से यह गलती हुई थी। एफ फार्म में बिल नम्बर व बिल्टी संख्या अंकित है। राजस्थान की फर्म पंजीकृत है एवं सरकार को कर प्राप्त हो गया है। अतः आरोपित शास्ति व कर अपास्त किया जावे तथा अपील स्वीकार की जावे। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आगे कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा 220 कट्टे चीनी का बिल ही मैसर्स श्री बजरंग भण्डार कुचामन सिटी के लिये बनाया गया था। परन्तु चूंकि उक्त वाहन में माल का लदान रात्रि में पल्लेदारों द्वारा किया गया था, जिनके द्वारा खाण्डसारी एवम् चीनी के समान कट्टे होने के कारण वाहन में भूलवश खाण्डसारी के कट्टों का लदान कर दिया गया। इस तथ्य को नोटिस के जवाब में स्पष्ट कर दिया गया था, परन्तु उसके बावजूद भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी उचित सुनवाई के बिना कोई सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना वास्तविक तथ्यों की जांच किये बिना अपीलार्थी पर कर एवम् शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है, जो कि अविधिक है। अपीलार्थी द्वारा मैसर्स श्री बजरंग भण्डार को भूल से लदने के कारण आई खाण्डसारी को आदत पर बेचने एवम् लेखा पुस्तकों में इन्द्राज करने तथा भुगतान भिजवाने को अपीलार्थी को कह दिया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को मिथ्या एवम् बोगस विस्तृत जांच के जरिये प्रमाणित नहीं किया गया है एवं न ही अपीलार्थी का करापवंचन का दोषी मनोभाव सिद्ध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा वक्त जांच खाण्डसारी का बिल संख्या 1318 दिनांक 09.02.2005 प्रस्तुत किया गया, जिसे लेने से कर निर्धारण अधिकारी ने इंकार कर दिया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस जांच कार्यवाही के अपीलार्थी पर कर एवं शास्ति आरोपण की

कार्यवाही की गई है। अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अपील स्वीकार कर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया। अपने लिखित तर्कों एवं कथन के समर्थन में अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये:-

1. अपीलार्थी द्वारा श्री बजरंग भण्डार कुचामनसिटी को लिखा पत्र दिनांक 10.02.2005
2. अपीलार्थी द्वारा श्री बजरंग भण्डार का जारी बिल सं. 1318 दिनांक 09.02.2005
3. श्री बजरंग भण्डार कुचामन सिटी द्वारा जमा कराये गये कर का चालान रूपये 2657/-
4. श्री बजरंग भण्डार कुमाचन सिटी द्वारा जमा कराये गये कर का चालान रूपये 1455/-
5. एक फार्म संख्या 232811
6. श्री बजरंग भण्डार द्वारा अपीलार्थी के नाम भिजवाया गया बिक्री का हिसाब दिनांक 22.04.2005
7. मैसर्स जयप्रकाश संजीव कुमार के मालिक संजीव कुमार का शपथ पत्र
8. अरुण कुमार पुत्र श्री जय प्रकाश का शपथ पत्र एवम्
9. अरुण कुमार पुत्र श्री भीखूराम मुनीम मैसर्स जय प्रकाश संजीव कुमार

4. विभागीय प्रतिनिधि द्वारा शास्ति आदेश का समर्थन किया गया। साथ ही कथन किया कि खाण्डसारी राज्य में कर योग्य है जबकि चीनी करमुक्त वस्तु है। इस प्रकार कर योग्य वस्तु के बजाय कर मुक्त वस्तु के बिल व बिल्टी बनाये जाकर करापवंचन की नीयत से माल परिवहनित किया जा रहा था अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवम् शास्ति विधि सम्मत है।

5. उभय पक्षों को सुना गया एवं अभियोग पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे पाया कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता चिढावा (झुंझनु) द्वारा दिनांक 10.02.2005 को पिलानी मार्ग पर वाहन संख्या आरजे-21/जी-2582 को रोककर चैक किया गया। वक्त जांच वाहन चालक एवं माल प्रभारी श्री हासन पुत्र श्री इब्राहिम ने वाहन में चीनी लदी होना प्रकट करते हुए निम्न दस्तावेज पेश किए:-

1. में कोटपूतली (एम.पी) रोड़ लाईन्स दिल्ली का मैं बजरंग भण्डार सियाराम मार्केट कुचामन सिटी का जारी बिल क्रमांक 1317 दिनांक 09.02.2005 चीनी 220 कट्टे।

उक्त दस्तावेजों के अनुसार चीनी के स्थान पर खाण्डसारी पाए जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति एवं कर का आरोपण किया है यह पत्रावली से पूर्णतया स्पष्ट है कि वाहन में लदा माल खाण्डसारी राज्य के अन्दर कर योग्य माल था तथा इसके बिल व बिल्टी चीनी (कर मुक्त माल) के पाए गए थे। नोटिस देने के पश्चात् कर सभी ने भूल सुधार करने हेतु खाण्डसारी का बिल बनाकर प्रस्तुत कर दिया जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार किया। धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण वाहन में परिवहनित किए जा रहे माल के बारे में मिथ्या घोषणा करने के कारण आरोपित की गई है चीनी एवं खाण्डसारी दोनों ही समान पैकिंग होने के कारण यह तर्क युक्तियुक्त नहीं है। कि वाहन में लदे माल का सही बिल व बिल्टी नहीं बनाया गया था। व्यवसायी का विधिक दायित्व बनता है कि वह माल की

सही घोषणा करते हुए उसके बिल व बिल्टी बनाता। यदि यह माल कर निर्धारण अधिकारी द्वारा चेक नहीं किया गया होता तो इसे कर मुक्त माल की श्रंणी में भी विक्रय संभव था। अपीलार्थी द्वारा समस्त तथ्य व्यवसायी के शास्ति से बचाव हेतु प्रस्तुत किए गए। धारा 78(5) के सुसंगत अर्थ निम्न प्रकार है।

78. Establishment of check-post and inspection of goods while in movement.-

(1) The commissioner may, with a view to prevent or check avoidance or evasion of tax, by notification in the Official Gazette, direct the setting up of a check-post at such place and for such period as may be specified in the notification, and every officer or official who exercises his powers and discharges his duties at such check-post by way of inspection of documents produced and goods being moved, shall be its Incharge.

(2) The driver or the person incharge of a vehicle or carrier or of goods in movement shall,-

(a) carry with him a goods vehicle record including "challances" and "bilities", bills of sale or despatch forms and prescribed declaration forms;

(b) Stop the vehicle or carrier at every check-post set up under sub-section (1);

(c) produce all the documents including prescribed declaration forms relating to the goods before the incharge of the check-post;

(4) Where any goods in movement, other than exempted goods, are without documents or are not supported by documents as referred to in sub-section (2), or documents produced appear false or forged the Incharge of the check-post or the officer empowered under sub-section

(3), may, -

(a) direct the driver or the person incharge of the vehicle or carrier or of the goods not to part with the goods in any manner including by retransporting or rebooking, till a verification is done or an enquiry is made, which shall not take more than seven days;

(b) Seize the goods for reasons to be recorded in writing and shall give a receipt of the goods to the person from whose possession or control are seized;

(c) release the goods seized in clause (b) to the owner of the goods or to anybody else duly authorised by such owner, during the course of the proceeding if adequate security of the amount equal to the estimated value of the goods is furnished.

(5) The Incharge of the check-post or the officer empowered under sub-section (3), after having given the person incharge of the goods a reasonable opportunity of being heard and after having held such enquiry as he may deem fit, shall impose on him for possession or movement of goods, whether seized or not, in violation of the provisions of clause (a) of sub-section (2) or for submission of false or forged documents or declaration, [a penalty equal to thirty per cent² of the value of such goods]

व्यवसायी ने नोटिस की पालना में दिनांक 11.02.2005 को एक प्रार्थना पत्र सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता विडवा को प्रस्तुत किया जो पत्रावली के पेज 9 पर है। इससे व्यवसायी ने लिखित में कर चोरी का अपराध स्वीकार किया है और प्रकरण का फैसला उसी दिन करने का निवेदन किया है इससे यह भी निवेदन किया है। कि नियत पेशी पर अन्य कोई जवाब या दस्तावेज पेश नहीं करना है। इस प्रकरण में व्यवसायी ने लिखित में गलती स्वीकार की है। जिसमें अन्य कोई अग्रिम जांच करने की आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि व्यवसायी को सुनवाई का अवसर देने के बाद प्रकरण का निस्तारण करके कर व शास्ति वसूल की गई। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की एस.बी. सिविल (एस.टी) रिविजन पिटीशन संख्या 102/2008 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रीकल्स बनाम एसीटीओ निर्णय दिनांक 12.08.2009 के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवसायी द्वारा करवंचना का अपराध स्वीकार करने के बाद अन्य कोई अग्रिम जांच करने की आवश्यकता नहीं है और व्यवसायी की लिखित स्वीकारोक्ती के बाद आरोपित शास्ति विधिसम्मत है।

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने (1989) 5 RTJS60 एसीटीओ बनाम मैसर्स राजा ग्लास हाउस के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया है कि व्यवसाई के अपराध स्वीकारोक्ती के बाद कर निर्धारण अधिकारी को और कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं होती है। उपरोक्त उद्धरित दोनों न्यायिक निर्णयों के परिपेक्ष्य में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपास्त करने योग्य है। अपीलीय अधिकारी ने व्यवसायी द्वारा बाद में जारी चालान एवं बिलों को स्वीकार कर तथ्यात्मक त्रुटि की है। अपीलीय स्तर पर प्रस्तुत किये गये बिल एवं चालान व्यवसायी की पश्चात्वर्ती सोच (After thought) का स्पष्ट प्रमाण है, इन्हें अपीलीय अधिकारी ने स्वीकार कर तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है।

परिणामस्वरूप अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश बहाल किया जाता है तथा अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)

सदस्य